

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-5/2022/डी- 3635

दिनांक : 1-11-22

मैवरिक ड्रीम बिल्डर्स लि. जरिये निदेशक
श्री मुकुट बिहारी अग्रवाल पुत्र श्री हनुमान दास अग्रवाल
पंजीकृत कार्यालय :- 211, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स,
एम.आई. रोड, जयपुर।

विषय : - नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना निर्माण नगर-सी के पुर्नगठित
भूखण्ड 157, 158 व 159 कुल क्षेत्रफल 148.78 वर्ग गज (1238.95 व.मी.) के आवासीय
भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

सन्दर्भ :- आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 18.10.2022 के क्रम में।

आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 18.10.2022 द्वारा नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना निर्माण नगर-सी के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 157, 158 व 159 के आवासीय भवन मानचित्र जिसमें बेसमेन्ट + स्टील्ट + 6 मंजिल कुल ऊँचाई स्टील्ट + 18.0 मीटर अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये गये थे। जोनल लेवल कमेटी की बैठक दिनांक 21.10.2022 में उक्त पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 157, 158 व 159 के आवासीय भवन मानचित्र बेसमेन्ट + स्टील्ट + 6 मंजिल कुल ऊँचाई स्टील्ट + 18.0 मीटर के अनुमोदन का निर्णय लिया गया। जिस पर निम्न शर्तों के साथ भवन निर्माण स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह भवन अनुज्ञा जारी दिनांक से 7 वर्ष तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों को दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. एकीकृत भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलींग हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
5. एकीकृत भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार ठोस कचरा निस्तारण हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
6. एकीकृत भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्र संबंधी भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
7. एकीकृत भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
8. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2020 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी

जोन-5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - (+91-141-2563234) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 18250) : फ़ैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : {dc05jdajapur@gmail.com}

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

- जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
9. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त (जोन-5) प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
 10. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2020 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त (जोन-5) को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
 11. एकीकृत भवन विनियम 2020 की धारा 15.5 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
 12. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
 13. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
 14. भूस्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत आवासीय ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
 15. भूस्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
 16. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
 17. स्वीकृत मानचित्र में विभिन्न वर्गों के लिए फ्लेट्स की संख्या के साथ संबंधित कन्स्ट्रक्शन फर्म का नाम निर्माण प्रारम्भ करने की दिनांक व निर्माण पूर्ण करने की संभावित अवधि मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
 18. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना एकीकृत भवन विनियम 2020 के विनियम 10.1.16 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
 19. भवन परिसर में आगंतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
 20. प्राईवेट डवलपर्स (निजी विकासकर्ता) को मौके पर क्वालिटी कन्ट्रोल लैब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समय पर जाँच की जाए।
 21. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
 22. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
 23. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी

जोन-5

जयपुर

24. एकीकृत भवन विनियम 2020 की धारा 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।
25. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
26. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
27. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।
28. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावे।
29. भवन निर्माण स्वीकृति मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। यदि किसी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
30. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृत मानचित्र मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा को रद्द करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हक नहीं होगा।
31. एकीकृत भवन विनियम, 2020/रीको भवन विनियम के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा जिसमें आयुक्त/उपायुक्त सम्बन्धित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
32. भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं संबंधित उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करनी होगी।
33. एकीकृत भवन विनियम, 2020/रीको भवन विनियम के अनुसार भवन विनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
34. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी अथवा संबंधित अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
35. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
36. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घंटे के अन्दर यथोचित प्रमाण पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी

जोन-6

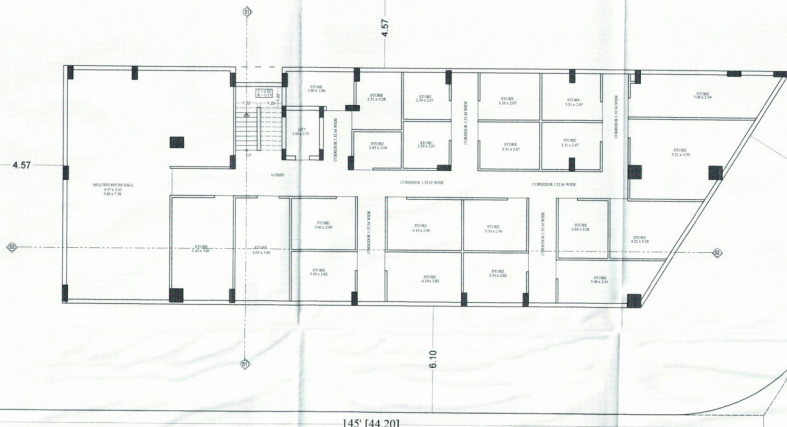
जयपुर विकास प्राधिकरण

37. एकीकृत भवन विनियम, 2020/रिको भवन विनियम की अनुपालना में भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।
38. एकीकृत भवन विनियम, 2020/रिको भवन विनियम की अनुपालना में " गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।
39. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
40. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर संपूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की और) लगाया जावे जिसमें सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
41. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री के आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जायें।
42. एकीकृत भवन विनियम, 2020/रिको भवन विनियम के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई भवन निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा एवं विवादित भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिये संबंधित निकाय जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है अथवा अनुज्ञेय है यही दर्शाता है।
43. उपरोक्त वर्णित शर्तों एवं एकीकृत भवन विनियम, 2020/रिको भवन विनियम अनुसार अन्य सभी सम्बन्धित शर्त का पालन किया जाना होगा, उक्त की पालना नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

79'-3" [24.16]

194' [59.13]

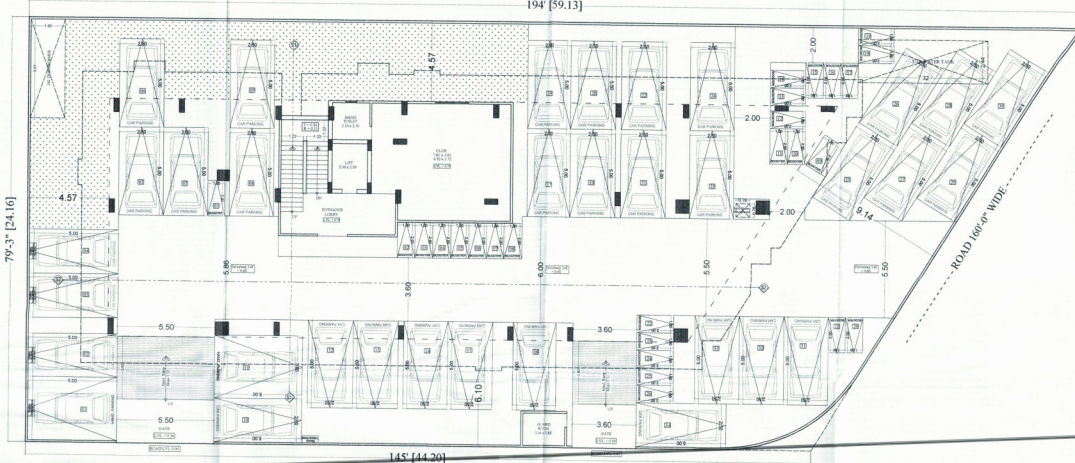


BASEMENT PLAN

----- ROAD 60'-0" WIDE -----

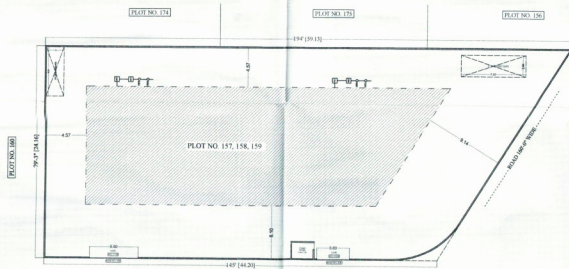
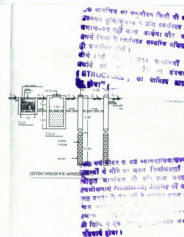
79'-3" [24.16]

194' [59.13]



STILT PLAN

----- ROAD 60'-0" WIDE -----

SITE PLAN & RAIN WATER HARVESTING PLAN
SCALE 1:200

S.NO.	REFERENCE :-
1.	PLOT AREA = 1298.96 SQ.MT. (4451.78 SQ.YDS.)
2.	STANDARD B.A.R. = 1298.96 X 100 = 2477.90 SQ.MT.
3.	PROPOSED B.A.R. = 4451.97 SQ.MT. (3.59) PROPOSED ADDITIONAL B.A.R. = 4451.97 - (2477.90) = 1974.07 SQ.MT.
4.	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE = WITHIN SETBACK
5.	PROPOSED GROUND COVERAGE = WITHIN SETBACK
6.	REQUIRED LANDSCAPE AREA (18%) = 123.80 SQ.MT.
7.	PROPOSED LANDSCAPE AREA (10.49%) = 129.98 SQ.MT.
8.	PERMISSIBLE HEIGHT AS PER BYE LAWS = = PUNTH (1.20) + STILT (4.50) + 18.00 = 23.70 M.
9.	PROPOSED HEIGHT = PUNTH (0.75) + STILT (4.50) + 18.00 = 23.25 M.
10.	E.C.U. REQUIRED :- RESIDENTIAL = 4451.97 / 115 = 38.71 + 10% (VISITOR PARKING) E.C.U. = 42.98 CAR = 32, SCOOTER = 32
11.	E.C.U. PROPOSED :- CAR = 34, SCOOTER = 28 (4296 E.C.U.) OPEN TO SKY STILT FLOOR TOTAL (4226 E.C.U.)
12.	ELECTRIC VEHICLE POINT REQUIRED = 05 ELECTRIC VEHICLE POINT PROPOSED = 05
13.	NUMBER OF FLATS/UNITS = 28 CAR THROUGH DRIVEWAY = 28 CAR BACK TO BACK = 09
14.	CLUB AREA REQUIRED ON STILT FLOOR:- REQUIRED MINIMUM 2% OF TOTAL PROPOSED B.A.R. (89.03 SQ.MT.) OR 50.0 SQ.MT. WHICHEVER IS LESS
15.	PROPOSED CLUB ON STILT = 57.88 SQ.MT.

S.NO.	FLOOR	GRASS	ARCHITECTURAL	LIFT	B.A.R.	CLUB
1.	BASMENT FLOOR	490.21	-	5.18	489.05	-
2.	STILT FLOOR	490.15	-	5.18	57.68	57.88
3.	GUARD ROOM	34.36	-	-	-	-
4.	1st FLOOR	650.15	3.13	5.18	650.84	-
5.	2nd FLOOR	650.15	3.13	5.18	650.84	-
6.	3rd FLOOR	650.15	3.13	5.18	650.84	-
7.	4th FLOOR	650.15	3.13	5.18	650.84	-
8.	5th FLOOR	650.15	3.13	5.18	650.84	-
9.	STAIR CASE MUMTY SWIMMING POOL	181.39	-	-	-	-
10.	TOTAL	5923.95	-	-	4451.97	57.88

APPROVED BY: [Signature]
DATE: [Date]
SCALE: 1:200

बनाया

आपका यह निर्माण
काम ही नहीं है, बल्कि
आपका ही है।

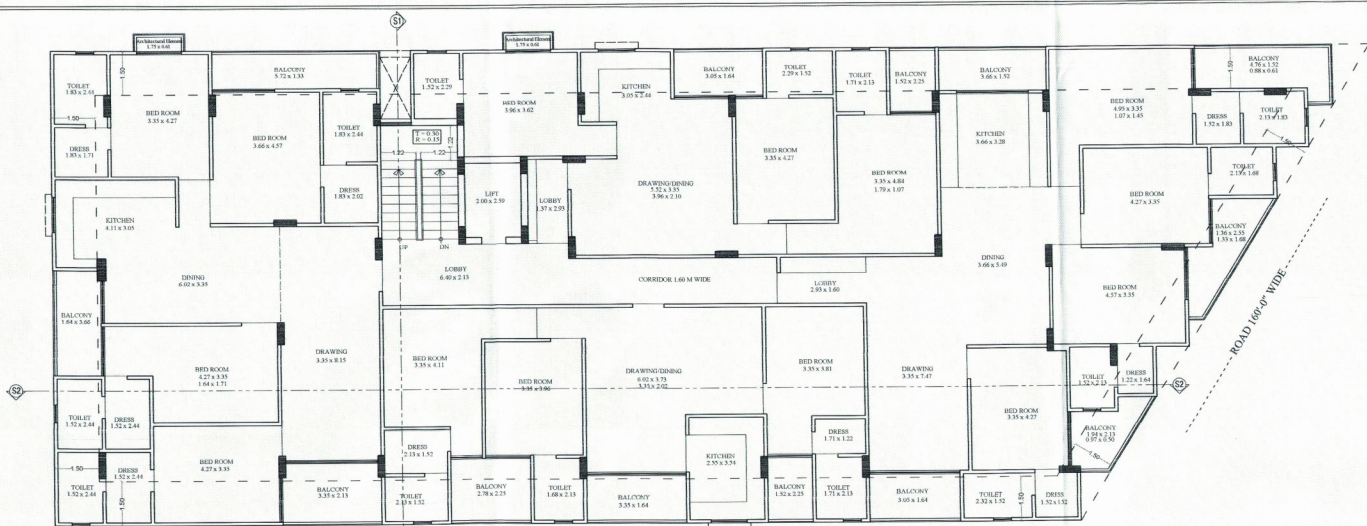
आपका यह निर्माण
काम ही नहीं है, बल्कि
आपका ही है।

SCALE = 1:100

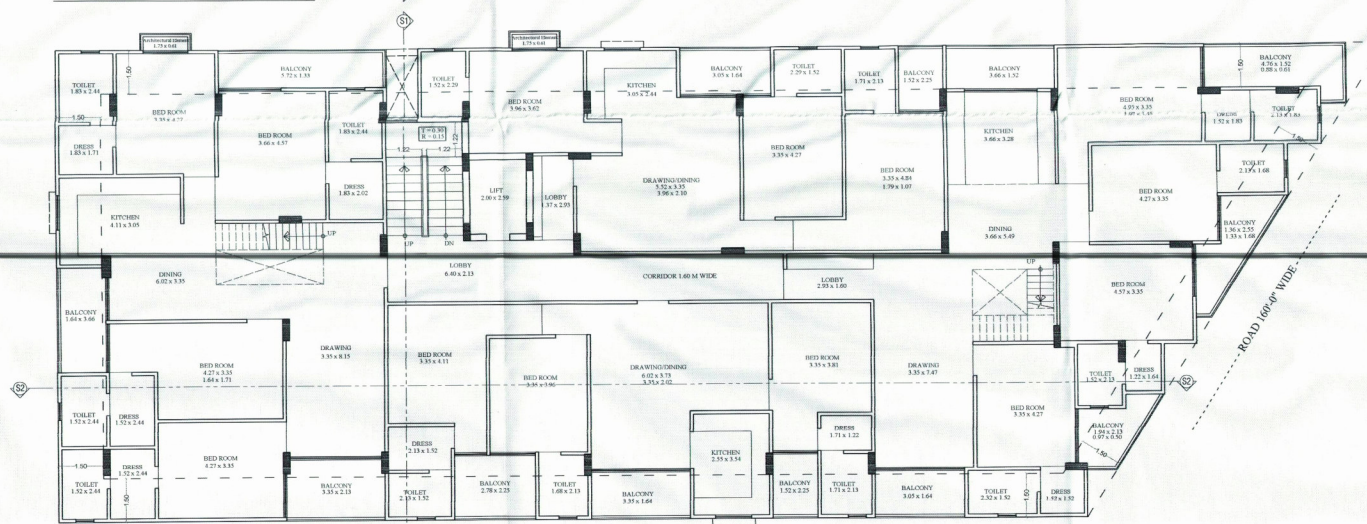
PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
PLOT NO. 157, 158, 159 NIRMAL NAGAR - C
JAIPUR

OWNER

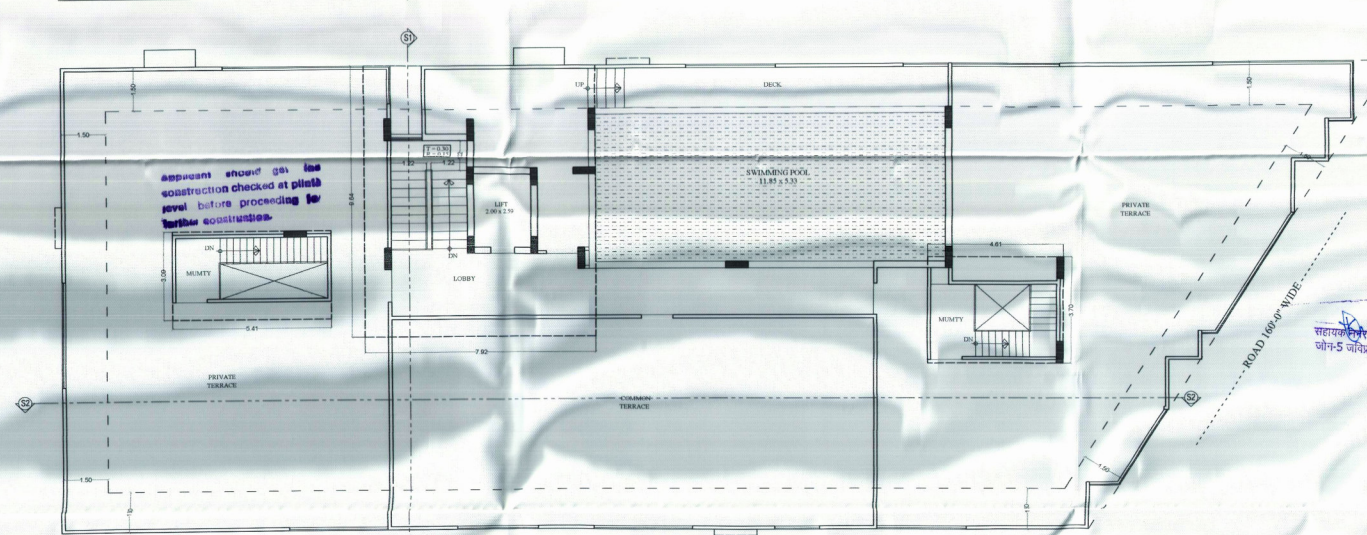
ARCHITECT :-
SPACE GRID
[Signature]
[Address]
[Phone Number]
[Email Address]



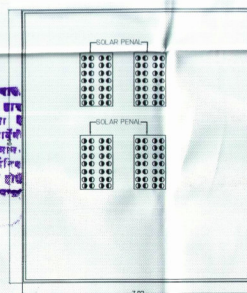
TYPICAL FLOOR PLAN (1st to 5th)



6th FLOOR PLAN



TERRACE PLAN



MUMTY PLAN

[illegible]

प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता है।
प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता है।
प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता है।

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
PLOT NO. 157, 158, 159 NIRMAL NAGAR - C
JAIPUR

OWNER

For MAVERICK DREAM BUILDERS PVT LTD

ARCHITECT :-
SPACE GRID
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

ARCHITECT :-
SPACE GRID
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

TERRACE
LVL + 23.25

6TH. FLOOR
LVL + 20.10

5TH. FLOOR
LVL + 17.25

4TH. FLOOR
LVL + 14.25

3RD. FLOOR
LVL + 11.25

2ND FLOOR
LVL + 8.25

1ST FLOOR
LVL + 5.25

[illegible]

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
PLOT NO. 157, 158, 159 NIRMAN NAGAR - C
JAIPUR

For MAVERICK DREAM BUILDERS PVT LTD

[Signature]
DIRECTOR

 **SPACE GRID**
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email: info.spacegrid@gmail.com

जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से
प्रस्तावित भवन की संरचना का
इसका-पत्र नमूने वाला आरेख और
इसके विवरण के आधार पर स्थापित
होने के लिए।
इसके लिए भवन निर्माण का
STRUCTURE का आरेख
है।

Level before proceeding for
construction.

TERRACE
LVL + 23.25

6TH FLOOR
LVL + 20.10

4TH FLOOR
LVL + 14.25

3RD FLOOR
LVL + 11.25

2ND FLOOR
LVL + 8.25

1ST FLOOR
LVL + 5.25

SHR FLOOR
LVL + 0.75

ROAD LVL = 0.00

BACK SIDE ELEVATION

TERRACE
LVL + 23.25

6TH FLOOR
LVL + 20.10

5TH FLOOR
LVL + 17.25

4TH FLOOR
LVL + 14.25

3RD FLOOR
LVL + 11.25

2ND FLOOR
LVL + 8.25

1ST FLOOR
LVL + 5.25

SHR FLOOR
LVL + 0.75

ROAD LVL = 0.00

RIGHT SIDE ELEVATION

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जैन-6
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

सहायक सार निोजक
जैन-5 जयपुर, जयपुर

SCALE = 1:100

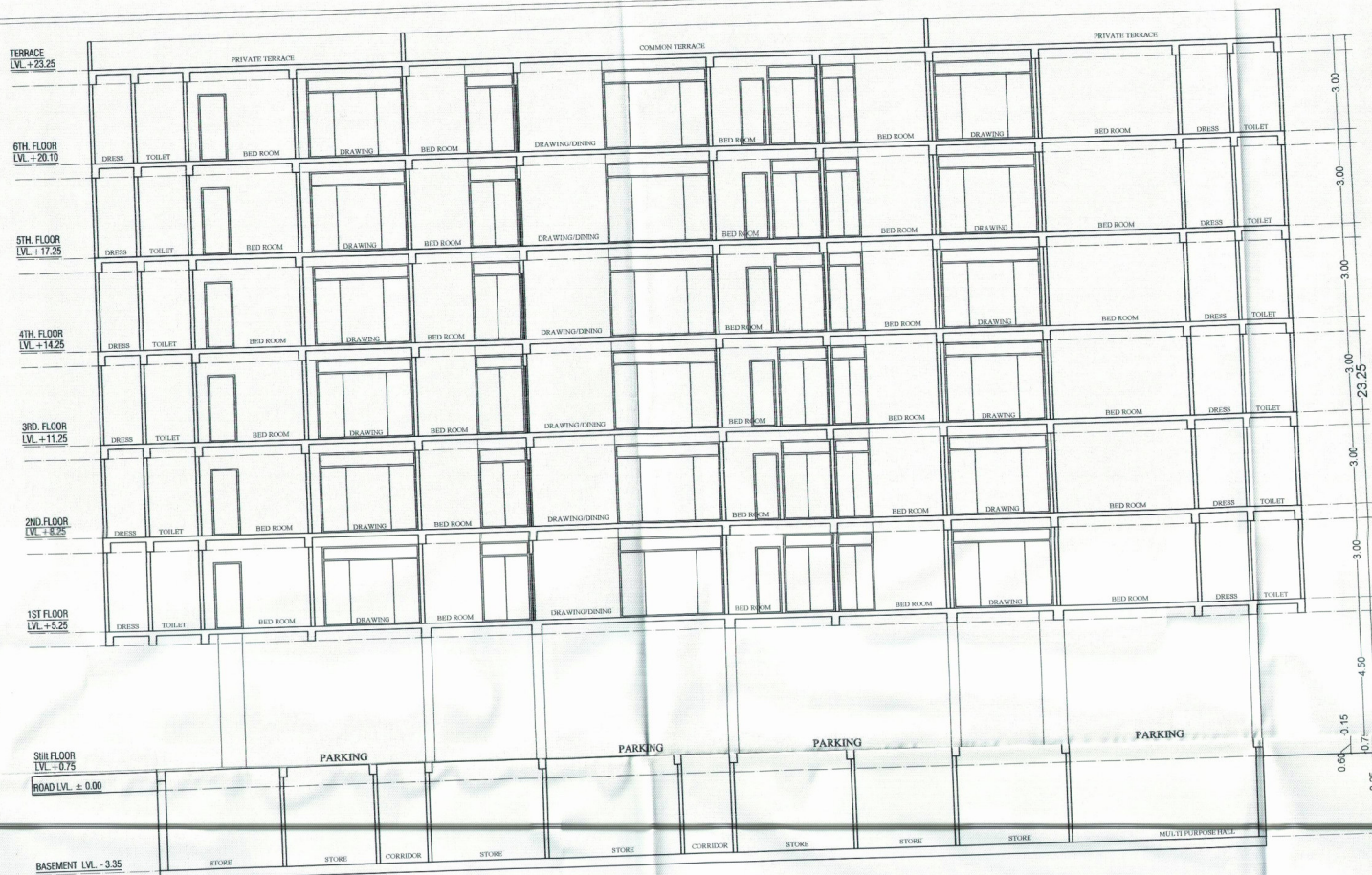
PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
PLOT NO. 157, 158, 159 NIRMAL NAGAR - C
JAIPUR

OWNER

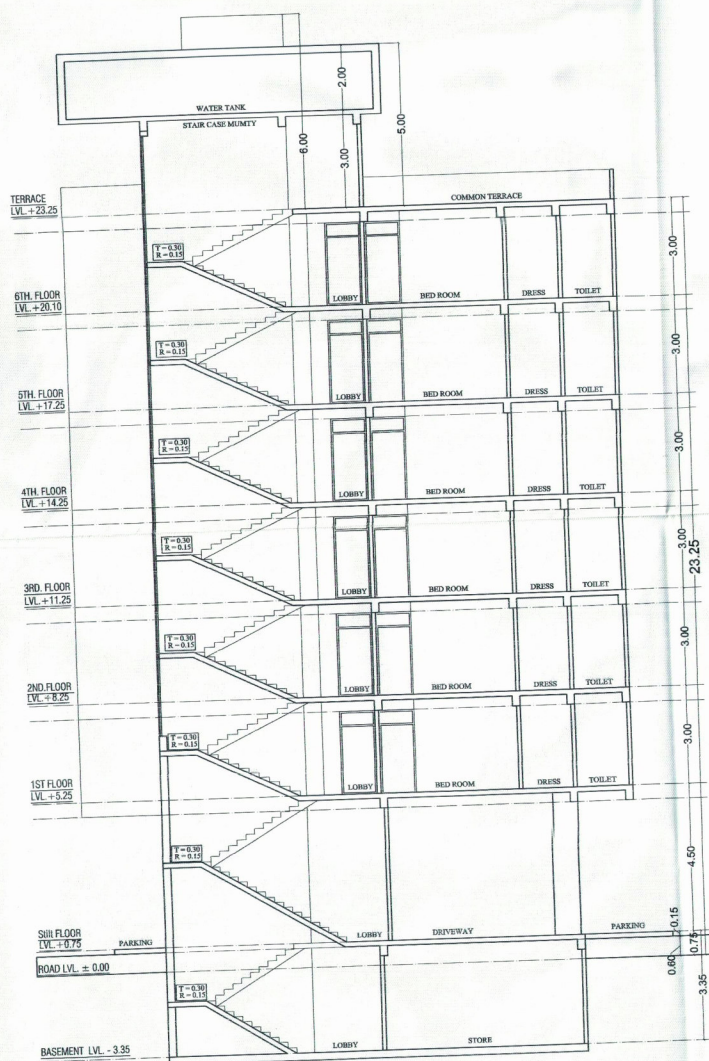
For MAVERICK DREAM BUILDERS PVT. LTD.
DIRECTOR

ARCHITECT

SPACE GRID
C-48 MIDIA APARTMENT, PRAAS MARG,
BAPU NAGAR NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302009
PH-08317918766, 0141-4005506 (0)
Email- info.spacegrid@gmail.com



SECTION (S2-S2)



SECTION (S1-S1)

[illegible]

applicant should get the construction checked at plate level before proceeding to further construction.

ॐ वासुदेव का अनुशीलन किताबें लगभग
 अनुमत भूमि/सुखक के प्रति स्वागत का
 इनाम-यह नहीं पता जायेगा जो न
 अपने किताबों के स्वागत समारोह में
 ही प्रभावित होंगे।
 साथ ही मैं अनुशीलन का
 नाम है यवन विचार का
 (STRUCTURE) का एक

अनुमोदित

सहायक चर निर्णायक
जोन-5 जविका, जयपुर

सपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-5
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

SHRI KRISHNAN
ARCHITECT
CA/99/2543 SCALE = 1:100

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
PLOT NO. 157, 158, 159 NIRMAL NAGAR - C
JAIPUR

OWNER

For MAVERICK DREAM BUILDERS FUND

ARCHITECT :-

SPACE GRID

C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com